न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल0आर0ए0 संख्या 198/2020 जिला कैम्प टोंक

रामलाल पुत्र माधो जाति गूर्जर निवासी प्रदोषनगर तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
—अपीलांट

बनाम्

1. सरकार जरिये तहसीलदार पीपलू।
2. मो0 शफी पुत्र मकबूल खां जाति मुसलमान, नीलगर, निवासी पीपलूं त0 पीपलू जिला टोंक,
—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक एवं आवंटन आदेश दिनांक 22.05.1984 बहक रेस्पोडेंट न0 2

उपस्थित अभिभाषकः—श्री जे0के0जैन(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः—17.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि भू—आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 मोहम्मद शफी पुत्र मकबूल खां को दिनांक 22.05.1984 को ग्राम पीपलूं तहसील पीपलूं स्थित खसरा नम्बर 2948 रकबा 4 बीघा कमाण्ड क्षेत्र की भूमि आवंटित करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार पीपलू अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 17ए प्रस्तुत किया था। जिसे उनके द्वारा आंशिक रूप से स्वीकर कर उपरोक्त खसरा नम्बर 2948 रकबा 4 बीघा में से पीपलू से काशीपुरा जाने वाली रास्ते की भूमि को जाने वाली भूमि का आवंटन रखा गया। उक्त अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है—

1. उक्त खसरा नम्बर में रास्ते की भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर अपीलांट का गत 35—40 वर्ष तक काश्त करता आ रहा है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा कभी भी कब्जाकास्त नहीं किया गया।

2. आवंटी द्वारा आवंटित भूमि की कीमत समय पर जमा नहीं करवायी गयी तथा आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू—भाग पर एवं द्वितीय वर्ष में शेष भू—भाग पर कास्त नहीं की गई। साथ ही इस खसरा नम्बर से होकर पीपलू से काशीपुरा जाने का रास्ता भी है अर्थात भूमि सार्वजनिक उपयोग की है।

3. आवंटी रेस्पोडेंट नम्बर 2 सद्भाविक कृषक नहीं है। वह कपड़ो की रंगाई का काम करता है।

4. विवादित भूमि के नजदीक अपीलांट के खेत है तथा भूमि छोटी पट्टी की श्रेणी में आती है। जिसका आवंटन अपीलांट को किया जाना चाहिए था।

5. अपीलांट को बेदखल करने का समय निकल चुका है आवंटन के वक्त उसका कब्जा होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया था। अपील स्वीकार की जायें और आवंटन निरस्त किया जायें तथा जिला कलक्टर टोंक का निर्णय दिनांक 28 [illegible] 2008 निरस्त किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:16 IST
Reason: Self Attested

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 96 का प्रार्थना पत्र, धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित हुए। वकील रेस्पोडेंट और राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित रहे।

जिला कलक्टर टोंक के निर्णय प्रकरण संख्या 36/2005 तहसीलदार पीपलू बनाम मो0 शफी में दिये गये निर्णय दिनांक 28.01.2008 की अपील अपीलांट द्वारा तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में दिनांक 12.05.2015 को दर्ज करवायी गयी। जिसे 16/2015 नम्बर दिया गया है। उक्त पत्रावली दिनांक 27.01.2020 को न्यायालय आरएए टोंक द्वारा राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधीसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण मे सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने से न्यायालय हाजा को प्रेषित की गई है। उक्त अपील को न्यायालय हाजा में दिनांक 18.03.2020 को 198/2020 नम्बर पर दर्ज किया गया।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार मौके पर सार्वजनिक रास्ता, रास्ता भूमि एवं शेष भूमि पर वर्षों से अपीलांट का कब्जा कास्त होने से अपीलांट उक्त निर्णय व आवंटन से व्यथित व प्रभावित पक्षकार है। अपीलाधीन निर्णय को चुनोती दिया जाना आवश्यक है। जिसकी अनुमति प्रदान करना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी को अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक के निर्णय 28.01.2008 का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि संवत 2059, 2060 एवं 2061 में अलॉटी ने फसल कास्त की है जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। इससे रेस्पोडेंट संख्या 2 का कब्जा उनके द्वारा माना गया था। साथ ही रेस्पोडेंट नम्बर 2 के द्वारा भूमि की कीमत जमा करवाया जाना पाया जाता है। भूमि की किमत जमा हो जाने के पश्चात अलॉटी को भूमि का कब्जा सौंपा गया था। साथ ही जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपने निर्णय में उक्त खसरा नम्बर में से पीपलूं से काशीपुरा जाने की रास्ते की भूमि को छोड़कर शेष भूमि के आवंटन को यथावत रखा गया। अपीलांट द्वारा यह कहा जा रहा है कि उसका विवादित भूमि पर 30–35 वर्षों से लगातार कब्जा चला आ रहा है। इस बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जिससे उसका कब्जा या काश्त सिद्ध होता हों। अपीलांट अपने आप को व्यथित पक्षकार सिद्ध नही करवा पाया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 2 जब उक्त भूमि को अन्य के हक में अंतरण खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने लगा तब आशंका होने पर एवं उसके द्वारा आवंटन यथावत होने की बात होने पर अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय की जानकारी करवाकर दिनांक 20.04.2015 को नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर दिनांक 24.04.2015 को नकल प्राप्त की। दिनांक 25.04.2015 को शनिवार एवं दिनांक 26.04.2015 को रविवार होने के कारण आज अपील पेश की जा रही है। अतः देरी को क्षमा किया जायें। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह नही बताया कि उसे किस दिनांक को किस अपीलाधीन निर्णय बाबत जानकारी हुई है। वह क्लीन हेंण्ड से न्यायालय में नहीं आया है।अपीलांट द्वारा अपील को बहुत देरी से प्रस्तुत किया गया है। जानकारी दिनांक नहीं बतायी गयी है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:16 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। तत्समय दिनांक 12.05.2015 को न्यायालय आरएए टोंक के विद्वान अधिकारी द्वारा राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बाबत निर्देश दिया गया था। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट द्वारा मात्र कब्जे बाबत मौखिक कथन किया गया है। उसके द्वारा

कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। भूमि रेस्पोडेंट नम्बर 2 को आवंटित हुई है। जिला कलक्टर टोंक के निर्णय के अनुसार गिरदावरी संवत 2059, 2060,2061 में उसके द्वारा काश्त की गई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट का कब्जाकास्त करना पाया जाता है। अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट व्यथित पक्षकार की श्रेणी में अपने आप को सिद्ध नही करवा पाया। अपीलांट द्वारा अपील बहुत देरी से प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेंट नम्बर 2 का कब्जाकाश्त है। उसके द्वारा आवंटित भूमि की कीमत जमा करवायी जा चुकी है तथा आवंटित क्षेत्र के गुजरने वाले रास्ते के क्षेत्र को कम किये जाने बाबत जिला कलक्टर टोंक द्वारा पूर्व में आदेश जारी किया जा चुका है। ऐसी अवस्था में अपीलांट अपील में चाह गया अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 36/2005 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार पीपलू जिला टोंक बनाम मोहम्मद शफी पुत्र मकबूल खां अन्तर्गत प्रकरण प्रार्थना पत्र 17ए विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 22.05.1984 आवंटन सलाहकार समिति निर्णय दिनांक 28.01.2008 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:16 IST
Reason: SelfAttested